आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
03.12.24	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A. Case No.- 23/2017-18 निरंजन कुमार वर्णवाल **बनाम** गौतम कुमार राय R.M.A. Case No.- 26/2017-18 हीरा देवी **बनाम** गौतम कुमार राय एवं अन्य R.M.A. Case No.- 42/2017-18 श्रीमती देवमुरत सिंह **बनाम** गौतम कुमार राय **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। उक्त वाद R.M.A. Case No.-23/2017-18 निरंजन कुमार वर्णवाल **बनाम** गौतम कुमार राय, R.M.A. Case No.-26/2017-18 हीरा देवी **बनाम** गौतम कुमार राय एवं अन्य, R.M.A. Case No.- 42/2017-18 श्रीमती देवमुरत सिंह **बनाम** गौतम कुमार राय, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक–31.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में सम्बद्ध है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय R.E. Case No.- 35/2015-16 में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश के द्वारा मौजा–जामताड़ा, जोत सं0–312 अन्तर्गत दाग सं0–3402, रकवा–22 डी0; जो कि गत सर्वे सेटेलमेन्ट में खतियानी रैयत सत्य वाला दासी एवं शैलवाला दासी के नाम पर दर्ज है, से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत (01) बचन सिंह, पिता–स्व0 रामदास सिंह (02) त्रिपुरी पंडित, पिता–अज्ञात (03) टिन्कू वर्णवाल, पिता–नरसिंह वर्णवाल (04) गोपाल वर्णवाल, पिता–शिव.....(05) हीरा देवी, पति–उपेन्द्र तिवारी को उच्छेदी किया गया है। अपीलकर्त्ता निरंजन कुमार वर्णवाल के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उक्त वाद R.M.A. Case No.-23/2017-18 के अपीलकर्त्ता निरंजन कुमार वर्णवाल का कहना है कि निम्न न्यायालय में गलत पता पर नोटिस निर्गत किये जाने के कारण उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हो पाया। अपीलकर्त्ता की माँ सुशीला देवी, मौजा–जामताड़ा, जोत सं0–312 अन्तर्गत दाग सं0–3402, रकवा–07 डी0 प्रश्नगत जमीन का प्राकृत उत्तराधिकारी एवं पैतृक सम्पति होने के कारण प्राप्त हुआ। सुशीला देवी के दादा अमृत लाल वर्णवाल व्यापार करने के उद्देश्य से जामताड़ा आये। शैलवाला देवी, खतियानी रैयत से हार्दिक संबंध रहने के कारण अमृत लाल वर्णवाल को शैलवाला देवी की जमीन का कुछ अंश घर बनाने के उद्देश्य से बंगला 12 माघ सन् 1343 को अमलनामा कागजात द्वारा प्राप्त हुआ। प्रश्नगत जमीन सड़क के किनारे अवस्थित है, शैलवाला देवी के सहमति से अमृत लाल वर्णवाल द्वारा चारों ओर मिट्टी का चहारदीवारी बनाये जाने, जमीन पर मिट्टी का घर बनाये जाने एवं दखल कब्जा में रहने के कारण जमीन बसौड़ी किस्म का हो चुका है। सुशीला देवी किशन लाल वर्णवाल के पुत्री एवं नरसिंह लाल वर्णवाल के पत्नी है। पारिवारिक सेटेलमेन्ट के द्वारा प्रश्नगत जमीन का रकवा–07 डी0 सुशीला देवी के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ। सुशीला देवी वर्तमान उत्तरवादी गौतम कुमार राय के माँ है। वर्तमान में प्रश्नगत जमीन 07 डी0 का मालिक, सुशीला देवी है। सुशीला देवी के नाम निम्न न्यायालय के अभिलेख में अपीलकर्त्ता के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। शैलवाला देवी के वर्तमान उत्तराधिकारी श्रीमती दुर्गा दासी एवं श्रीमती ममता चटर्जी जीवित है के द्वारा अपीलकर्त्ता के माँ के पक्ष में प्रश्नगत जमीन Deed of Declaration के माध्यम से दिया गया। सुशीला देवी द्वारा उक्त जमीन पर बने मिट्टी का बना हुआ पुराना घर के संरचना को ध्वस्त किये जाने के बाद शारीरिक श्रम एवं काफी रकम खर्च कर स्थायी आवासीय घर बनाया गया जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहा रहा है। गौतम कुमार राय एक Imposter व्यक्ति है क्योंकि उसके द्वारा अपने माँ को पक्षकार नहीं बनया गया तथा तथ्य को छुपाया गया। वर्तमान अपीलकर्त्ता गौतम कुमार राय अनावश्यक रूप से माँ के स्थान पर अपने ही पक्षकार बना गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक–19.07.2017 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण कहा गया। अपीलकर्त्ता हीरा देवी, पति–उपेन्द्र तिवारी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना	

है कि अपीलकर्त्ता मौजा-जामताड़ा के स्थायी निवासी है। प्रतिवादी गौतम कुमार राय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में खाता संख्या-312 के दाग संख्या-3402 से बचन सिंह एवं अन्य के विरूद्ध रैयती उच्छेदी हेतु वाद दायर किया गया एवं उसके द्वारा उक्त मौजा-जामताड़ा के खाता संख्या-312 के खतियानी रैयत का वैध उत्तराधिकारी के रूप में अपने को प्रस्तुत किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मौजा-जामताड़ा के दाग संख्या-3402, खाता संख्या-312 के खतियानी रैयत शैलवाला देवी, पति-स्व0 राम तारक बकसि है। बलदेव तिवारी एक पूजारी थे एवं भिम्न-भिन्न ''जजमान'' के घर पूजा किया करते थे। शैलवाला दासी द्वारा बंगला 12 माघ सन् 1343 को पूजारी बलदेव तिवारी को घर बनाने एवं स्थायी रूप से रहने हेतु लगभग 03 (तीन) कट्ठा जमीन अमलनामा द्वारा दिया गया था। बलदेव तिवारी की मृत्यु के पश्चात् उनके बेटी हीरा देवी को प्रश्नगत जमीन लगभग 03 (तीन) कट्ठा प्राप्त हुआ। हीरा देवी की शादी जामताड़ा के उपेन्द्र तिवारी से हुई। हीरा देवी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अपने परिश्रम एवं मोटी रकम खर्चा के पश्चात् घर का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्मित किया गया। हीरा देवी के एक पुत्र जामताड़ा न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम करते है। प्रश्नगत जमीन पर रूची रखने वाले व्यक्ति द्वारा गौतम कुमार राय को गलत सलाह देकर उच्छेदी वाद निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता हीरा देवी एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दायर कराया गया। उत्तरवादी को निम्न न्यायालय में नोटिस का तामिला नहीं किया गया था। इस प्रकार निम्न न्यायालय में वाद को न्यायकि दृष्टिकोण से बिना विचार किये ही वाद का निष्पादन करते हुए विपक्षी बचन सिंह एवं अन्य को उच्छेद किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

अपीलकर्त्ता श्रीमती देवमूरत सिंह एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपलीकर्त्ता मौजा-जामताड़ा के निवासी जमाबंदी रैयत है। मौजा-जामताड़ा के प्लॉट संख्या-3402 के अंश रकवा अपीलकर्त्ता के मौजा-जामताड़ा के खतियानी रैयत शैलवाला दासी द्वारा कुर्फा पट्टा पर बंगला 15 माघ सन् 1343 (लगभग 1936 ई0) को दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमीन को ईट से चहरदिवारी एवं मकान बनाया गया। अपीलकर्त्ता एवं पूर्वजों के कब्जे के आधार पर 1872 के Regulation-III की धारा-27 के प्रावधान के अनुसार भूमि पर अधिकार, शीर्षक एवं हक जारी रखना शुरू हुआ। शैलवाला देवी के मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र बंक बिहारी राय और हरि राय को दिया गया था। बंक बिहारी राय की उत्तराधिकारी उसकी पुत्री तुपा राय को तथा तुपा राय से ममता @ नुपूर चक्रवर्ती को जमीन उत्तराधिकारी से प्राप्त हुआ। नुपूर राय से दुर्गा दासी; के जमीन का हक प्राप्त हुआ। प्रतिवादी को खतियानी रैयत से न तो कोई संबंध है और न ही प्रश्नगत जमीन का अर्जन किया गया है। प्रश्नगत जमीन मौजा-जामताड़ा, खाता संख्या-372 के खतियानी रैयत शैलवाला देवी, पिता-स्व0 राम तारिक बकसि है, जबकि निम्न न्यायालय में आवेदक गौतम कुमार राय द्वारा खतियानी रैयत का नाम शैलवाला दासी कहा गया है। उत्तरवादी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर गलत वंशावली बना कर मिथ्या वाद दायर किया गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक-19.07.2017 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण कहा गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उत्तरवादी गौतम कुमार राय, मौजा-जामताड़ा के खाता संख्या-312, दाग संख्या-3402 गत सर्वे खतियान में अभिलेखित खतियानी रैयत शैलवाला दासी उर्फ देवी, पति-स्व0 राम तारक बकसि के वंशज है। प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य अहस्तांतरणीय सत्व का जमीन है। अपीलकर्त्तागण मौजा-जामताड़ा के जमाबंदी रैयत नहीं है। अपीलकर्त्तागण खतियानी रैयत से कोई संबंध सरोकार नहीं है, उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अवैध रूप से दखल कब्जा कर लिया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक-19.07.2017 को पारित आदेश को न्यायसंगत कहा गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय में वाद के कार्यवाही के समय अपीलकर्त्तागण को अपना नोटिस तामिला नहीं कराया गया। जिससे अपीलकर्त्तागण को अपना पक्ष एवं संगत कागजातों का छायाप्रति उपस्थापित करने हेतु निम्न न्यायालय द्वारा उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीकर्त्तागण द्वारा अधोहस्ताक्षरी

के न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के अपने पक्ष में हस्तांतरण होने का कोई वैध कागजात या छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीकर्त्तागण द्वारा प्रश्नगत जमीन अमलनामा या कुर्फा पट्टा द्वारा प्राप्त होने का जिक्र किया गया। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्तागण को प्राप्त जमीन का कागजात भी प्रस्तुत नहीं कर पाये। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक-19.07.2017 को पारित आदेश में अंकित है कि ".....आवेदक के दाखिल आवेदन के आलोक में विपक्षी को अपना कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लगातार बार-बार स्मारित करने के बावजूद विपक्षीगण न तो न्यायालय में उपस्थित हुये और ना ही उनके पक्ष के किसी प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा ही कोई पैरवी या पक्ष ही न्यायालय में रखा गया। फलतः वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गयी। आवेदक के दाखिल आवेदन एवं न्यायालय में उनके विज्ञ अधिवक्ता के सुने बहस के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि वादगस्त जमीन मौजा-जामताड़ा के खाता संख्सा-312, दाग संख्या-3402 गत सर्वे खतियान में सत्यावाला दासी एवं सैलावाला दासी के नाम से दर्ज है। मूल आवेदन पत्र में खतियानी रैयत के दर्शाये गये वंशावली से विदित होता है कि खतियानी रैयत सत्यावाला दासी की मृत्यु ना औलाद हो गया है। आवेदक गौतम कुमार राय दूसरी खतियानी रैयत सैलावाला दासी के वंशज हैं। जमीन पर आवेदन का वंशानुगत हक दावा बनता है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध सरोकार नहीं है। जमीन पर उनका कोई वैधानिक हक दावा नहीं बनता है। अतएव विपक्षियों को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम, 1999 के धारा-20 एवं 42 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वादगस्त जमीन मौजा-जामताड़ा के खाता संख्या-312, दाग संख्या-3402, रकवा-62 डी0 से उच्छेद किया जाता है।"

इससे स्पष्ट है कि अपीकर्त्तागण द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के अपने पक्ष में हस्तांतरण होने का कोई वैध कागजात या छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किया गया लेकिन अपीलकर्त्तागण को निम्न न्यायालय में पैरवी या अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-35/2015-16 में दिनांक-19.07.2017 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए सभी पक्षकारों को वैध कागजात प्रस्तुत करने, सुनवाई की पर्याप्त अवसर देने एवं संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम, 1949 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद को पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Adv
24/12/2024

24.12.24.

Seen.
24/12/24

Seen
31/12/24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.01.02 13:53:15 +05:30
Location: 192.168.43.106